

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०- 10/निजी-01-1062/24-

पटना/दिनांक-

श्रीमती तसनीम कौसर (आई०डी०-5727), सहायक प्राध्यापक, (बाढ़ प्रबंधन), वाल्मी, पटना का दिनांक-15.06.2026 से दिनांक-27.01.2027 तक कुल-227 (दो सौ सत्ताईस) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 220(A) के तहत शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-195(21)दिनांक-27.01.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में 227 (दो सौ सत्ताईस) दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती कौसर के अवकाश लेखा में कुल-415 (चार सौ पन्द्रह) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1062/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1062/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1062/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती तसनीम कौसर (आई०डी०-5727), सहायक प्राध्यापक, (बाढ़ प्रबंधन), वाल्मी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1062/24-

2644

पटना/दिनांक-

16/06/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।